

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला उदयपुर (राज०)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 01/23 (अपील)

GCMS No. : 2023/1

अनवान्

1. श्री खुमा गोदी पिता खेमा जी जाति डांगी उम्र-वयस्क निवासी घासा तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमती धापुबाई पुत्री माना जी जाति डांगी उम्र-वयस्क निवासी घासा तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
2. श्रीमती नानीबाई पुत्री माना जी जाति डांगी उम्र-वयस्क निवासी-घासा तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
3. श्रीमती प्रतापीबाई पुत्री माना जी जाति डांगी उम्र-वयस्क निवासी घासा तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
4. पटवारी पटवार हल्का हल्का घासा तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय मावली जिला-उदयपुर (राज०)
6. श्रीमती हीराबाई पत्नी उदा जाति डांगी उम्र 62 वर्ष निवासी सांगवा तहसील मावली जिला उदयपुर।
7. श्रीमती सीताबाई पत्नी भंवरलाल डांगी उम्र 42 वर्ष निवासी सांगवा तहसील मावली जिला उदयपुर।
8. श्रीमती लक्ष्मीबाई पत्नी मांगीलाल डांगी उम्र 36 वर्ष निवासी सिन्धु तहसील मावली जिला उदयपुर।

.....रेस्पोंडेण्ट्स

उपस्थित-1. श्री विजय आमेटा, अधिवक्ता अपीलाण्ट।

2. श्री कन्हैयालाल डांगी, अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 से 3।

3. श्री सुरेश चन्द्र डांगी, अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट संख्या 6 से 8।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

विरुद्ध आदेश ग्राम पंचायत घासा नामान्तरकरण संख्या 3027 तारीख 05.04.2022

—: : निर्णय : :—

दिनांक : 06.05.2025

1. अपीलाण्ट द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह अपील ग्राम पंचायत घासा द्वारा निर्णित



नामान्तकरण संख्या 3027 दिनांक-05.04.2022 के विरुद्ध की जा रही है। गांव घासा पटवार हल्का घासा तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०) के आराजी नम्बर 4521, 4522, 4523, 4524, 4225, 4226, 5870/4523 किता 7 कुल रकबा 0.6880 हैक्टेयर भूमि रेस्पोजेण्ट संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। आराजी नम्बर 4474, 4481, 4482, 4483, 4486, 4487, 4488, 4492, 4505, 4506, 4507, 4513, 4514, 4515, 4547, 4548, 4549, 4550, 4551 किता 19 कुल रकबा 1.4652 हैक्टेयर भूमि रेस्पोजेण्ट संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज है। मुझ अपीलान्त के गोदीपिता खेमा के पिता जी का नाम माना पिता हीरा जी डांगी था जिनके नाम पर उक्त वर्णित आराजीयात उनके हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी, नकल जमाबन्दी सवत-2052-2055 के अनुसार माना जी की मृत्यु के उपरान्त विरासत से खेमराज पिता माना जी डांगी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ, जिसके नामान्तकरण संख्या-1532 थे, उसके उपरान्त खेमा उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जे काश्त होकर खेती करते चले आ रहे थे। खेमा जी की पत्नी का देहान्त खेमा जी के जीवनकाल में ही हो गया था। खेमा जी के कोई जायन्दा संतान नहीं थी। खेमा जी के कोई जायन्दा संतान नहीं होने की वजह से खेमा जी एवं उनकी पत्नी ने बचपन से मुझ अपीलान्त को अपने पास गोद रख लिया था, मुझ अपीलान्त का बाल्यकाल एवं पढाई लिखाई खेमा जी के घर पर ही हुई थी। मेरा विवाह भी खेमा जी ने ही अपने स्तर पर अपने खर्च से करवाया था। खेमा जी के वृद्धावस्था में उनके सेवा-चाकरी भी मुझ अपीलान्त के द्वारा ही की गई थी तथा मेरी सेवा-चाकरी से प्रसन्न होकर मेरे प्राकृतिक माता-पिता की सहमति से दिनांक 06.01.2009 को उप पंजीयन कार्यालय मावली में उपस्थित होकर एक रजिस्टर्ड गोदनामा निष्पादित करते हुए मुझ अपीलान्त को गोद पुत्र का दर्जा देते हुए गोदनामा निष्पादित करवाया तथा इससे पूर्व घर पर गोद से सम्बन्धित समस्त रिति रिवाज जैसे गुड-धनिया बांट कर, ढोल बजवा कर रिश्तेदारो, पडौसीयो में मिठाई बांट कर तथा समस्त रिश्तेदारो के समक्ष अपनी गोद में बिठा कर समस्त गोद की समस्त रिति रिवाज की पूर्ति की थी। उक्त रिति रिवाज गोदनामे की दिनांक से पूर्व मुझ अपीलान्त की अल्प आयु में ही निष्पादित कर दिये थे। इस तरह वैध दस्तावेज एवं समस्त रिति रिवाजो के आधार पर मैं अपीलान्त खुमा जी का गोद पुत्र के रूप में दर्जा प्राप्त हो चुका था।

2. यह कि कालान्तर में दिनांक-29.06.2021 को खेमा की मृत्यु भी हो चुकी थी। उसके उपरान्त मैं अपीलान्त खेमा जी का सामाजिक क्रियाक्रम करने के उपरान्त अपने कृषि कार्य में व्यस्त हो गया था। खेमा जी की समस्त जमीन पर उनके विरासत से उनकी जमीन पर बिना किसी बाधा के खेती करता चला आ रहा हूं। रेस्पोंडेन्ट सख्या-01 से 03 के द्वारा कभी भी कोई विरोध नहीं जताया गया। परन्तु दिनांक-20.12.2022 को मुझ अपीलान्त ने पटवारी पटवार हल्का घासा से सम्पर्क कर सरकार द्वारा 2000/- रुपये प्रति माह किसानो को अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में पुछताछ कर पटवारी साहब को बताया की मुझ अपीलान्त के खाते में 2000/- रुपये क्यों नहीं आ रहे है तो पटवारी साहब द्वारा दस्तावेजो की जांच कर बताया कि उक्त जमीन मुझ अपीलान्त के नाम पर दर्ज नहीं होकर रेस्पोंडेन्ट सख्या-1 से 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिस पर मुझ अपीलान्त ने तहसीलदार साहब के यहां जाकर उक्त वर्णित जमीन की नकले प्राप्त की एवं विरासत की नकले प्राप्त की तो मुझ अपीलान्त को जानकारी प्राप्त हुई कि गलत नामान्तकरण के आधार पर मुझ अपीलान्त का नाम हटाकर रेस्पोंडेन्ट सख्या-1 से 3 के नाम पर फर्जी तरीके से उक्त वर्णित आराजीयात दर्ज कर दी।
3. यह कि मैं अपीलान्त खेमा पिता माना जी का गोदीपुत्र हूं खेमा जी के द्वारा रजिस्टर्ड गोदनामा निष्पादित करवाया गया है जो अभी भी अस्तित्व में है, रेस्पोंडेन्ट सख्या-1 से 3 खेमा जी की बहने है, किसी भी पिता की मृत्यु पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उसके चल-अचल सम्पत्ति का वारिस उसके पुत्र-पुत्री ही होते है न की मृतक की बहने वारिस होती है। खेमा जी के कोई पुत्रीया नहीं है। खेमा जी का मैं अपीलान्त एक मात्र विधिक वारिस हूं। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मैं अपीलान्त खेमा जी का प्रथम श्रेणी का वारिस हूं और प्रथम श्रेणी का वारिस होते हुए खेमा जी की सम्पत्ति उसकी बहनो के नाम पर दर्ज नहीं हो सकती है। ग्राम पंचायत द्वारा सजरा गलत रूप से प्रमाणित किया गया है। मुझ अपीलान्त को खेमा जी का विधिक वारिस होने का नजर अंदाज करते हुए रेस्पोंडेन्टगणो के नाम पर गलत सजरे का सृजन कर जो नामान्तकरण दर्ज किया गया है वो मेरे हक व अधिकारो के मुकाबले शुन्य एवं बेअसर है। ग्राम पंचायत घासा ने गलत सजरा प्रमाणित किया है। जिसके कारण उक्त नामान्तकरण खारिज होने योग्य है। नामान्तकरण की कार्यवाही के दौरान मुझ अपीलान्त को

सूचित नहीं किया गया और न ही कब्जे की जांच कर रिपोर्ट तैयार की गई। खेमा जी के देहावसान एवं उनके जीवनकाल के दौरान उक्त वादग्रस्त भूमि पर मैं अपीलान्त ही कब्जे काशत होकर खेती करता चला आ रहा था। रेस्पोंडेन्ट सख्या-01 से 03 का कोई कब्जा नहीं है। कब्जे की अनुपस्थिति की वजह से भी उक्त नामान्तकरण खारिज होने योग्य है।

4. यह कि मुझ अपीलान्त द्वारा दिनांक 25-11-2022 को रेस्पोंडेन्ट सख्या-4 पटवारी पटवार हल्का घासा से अपने खाते की जमाबन्दी प्राप्त करने पर जानकारी हुई तत्पश्चात् मुझ अपीलान्त द्वारा उक्त तथाकथित नामान्तकरण की नकल भी पटवारी से प्राप्त की जिससे उक्त गलत नामान्तकरण की जानकारी प्राप्त हुई, तत्पश्चात् अधिवक्ता मुर्ककर कर अपील खर्च एवं वकील मेहन्ताने की व्यवस्था कर अपील तैयार कर आज प्रस्तुत की जा रही है, जो जानकारी से अन्दर मियाद है।
5. अंत में निवेदन किया कि अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत घासा द्वारा स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तकरण सख्या-3027 दिनांक-05.04.2022 विधि विरुद्ध होने से स्वीकृत किये गये नामान्तकरण एवं उसके परिणाम स्वरूप राजस्व अभिलेख में किया गया परिवर्तन निरस्त फरमाया जाकर अपील को स्वीकार फरमाई जाने की कृपा करावें। ताईद में शपथ-पत्र प्रस्तुत है।
6. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुझ अपीलान्त द्वारा दिनांक 22.11.2022 को रेस्पोंडेन्ट सख्या-04 पटवारी पटवार हल्का घासा से अपने खाते की जगाबन्दी प्राप्त करने पर जानकारी हुई तत्पश्चात् मुझ अपीलान्त द्वारा उक्त तथाकथित नामान्तकरण की नकल भी पटवारी से प्राप्त की जिससे उक्त गलत नामान्तकरण की जानकारी प्राप्त हुई, मुझ अपीलान्त द्वारा जानबुझकर कोई देरी नहीं की है। देरी का पर्याप्त कारण है और न्याय के लिये देरी के समय को क्षम्य किया जाना आवश्यक है।
7. अंत में निवेदन किया कि अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य फरमाया जाकर प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावें। ताईद में शपथ-पत्र प्रस्तुत है।
8. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्तस द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन

किया कि अपील अन्दर मयाद पेश की गई। ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण पारित करते समय अपीलान्टस को सुने बिना विधि विरुद्ध निर्णय पारित कर दिया गया। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाया जावें। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंटगण द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा विरासत का नामान्तरकरण सही पारित किया गया है। अपीलान्ट मृतक का वारिस नहीं है। अंत में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2018 पेज नम्बर 186, आरआरटी 2022(2) पेज नम्बर 1137, आरआरडी 2014 पेज नम्बर 256, आरआरडी 2014 पेज नम्बर 252, आरआरडी 1994 पेज नम्बर 604, आरआरडी 1995 पेज नम्बर 600, आरआरटी 2023 (2) पेज नम्बर 1241 प्रस्तुत किये। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2018(2) पेज नम्बर 879, आर.आर.डी. 1985 पेज नम्बर 99, आर.आर.टी. 2022(2) पेज नम्बर 1302, आरआरटी 2009(1) पेज नम्बर 376 प्रस्तुत किये।

9. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। ग्राम पंचायत घासा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 3027 दिनांक 05.04.2022 को पारित किया गया है। जहाँ तक अपील प्रस्तुति में हुऐ विलम्ब की अवधि का प्रश्न है तो अपीलाधीन नामान्तरकरण निर्णित करने के पूर्व न तो अपीलान्ट को सुना गया है और न ही सूचना दी गई है। इस कारण से अपीलान्ट्स को उक्त नामान्तरकरण का ज्ञान नहीं था। वैसे भी विलम्ब को क्षमा किये जाने बाबत् न्यायालय को लचीला दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। जिससे की किसी भी पक्षकार के हित प्रभावित नहीं हो इसके लिए प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जा सके। इस कारण अपील प्रस्तुती में हुऐ विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है एवं देरी की अवधि को कन्डोन किया जाता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार किया जाता हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंचायत घासा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 3027 दिनांक 05.04.2022 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा खातेदार खेमराज पुत्र माना के निधन के पश्चात विरासत का नामान्तरकरण पारित किया गया है। खेमराज पुत्र माना के कोई वारिस नहीं होने से ग्राम पंचायत

द्वारा विरासत से उसके निकटतम वारिस उनकी बहनो के नाम नामान्तरकरण पारित किया गया है। अपीलान्ट का कथन है कि खातेदार खेमराज पुत्र माना द्वारा उसे पुत्र के रूप गोद ले रखा था। विरासत का नामान्तरकरण ग्राम पंचायत को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मेरे पक्ष में पारित करना चाहिए था। ग्राम पंचायत के अनुसार खातेदार खेमराज पुत्र माना के कोई संतान नहीं हुई। इस तथ्य को अपीलान्ट भी स्वीकार कर रहा है। खातेदार के कोई संतान नहीं होने से विरासत का नामान्तरकरण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय श्रेणी के वारिसान के नाम पारित किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत द्वारा भी द्वितीय श्रेणी के वारिसान के नाम ही नामान्तरकरण पारित किया गया है। अपीलान्ट गोदनामे के आधार पर नामान्तरकरण पारित करवाना चाहता है। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि गोद जैसे विवादास्पद मामले नामान्तरकरण की कार्यवाही में तय नहीं किये जा सकते हैं बल्कि नियमित वाद के द्वारा सक्षम न्यायालय द्वारा ही तय किये जा सकते हैं। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिसकल प्रोसिडिंग होती है, जिसमें पक्षकारो के अधिकारो का अन्तिम रूप से निर्धारण नहीं किया जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा विरासत का नामान्तरकरण पारित करने मे कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज योग्य पाई जाती हैं। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टांत उक्त अपील पर चस्पा नहीं होते हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है तथा पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई जाती है। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06.05.2025 को खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली